

किस्म मुकदमा:- धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

नम्बर:- 08 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गोरधन आचार्य बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार फलौदी)	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/2/24	<p>अपीलार्थी गोरधन आचार्य , निवासी आचार्यो को मोहल्ला नयापुरा, जिला फलौदी ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 9.12.2023 में उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार फलोदी को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दिये जाने से व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंटस पक्ष (तहसीलदार फलौदी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना अपीलांट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है।</p> <p>प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार फलोदी के द्वारा चाही गई सूचना जरिये पत्र क्रमांक/भू.अ./2024/100 दिनांक 09.01.2024 द्वारा अपीलार्थी को दी गई है।</p> <p>उक्त विवेचना अनुसार अपील प्रार्थी अस्वीकार की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था होने की स्थिति में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू नहीं होने से अपील इस स्टेज पर निरस्त होने से निरस्त की जाती है आदेश की प्रति संबधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	

जिला कलेक्टर  
फलौदी